न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कनवास, कोटा

पीठासीन अधिकारी :- निखिल टाक, आर.जे.एस.
एफआईआर नम्बर :- 86/2018 पुलिस थाना देवलीमांझी
सी.आई.एस. नम्बर :- 445/2018
सी.एन.आर नंबर :- RJKT18-000725-2018

राजस्थान राज्य बनाम मो. अबरार वगै.

अपराध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता 1860, 4/21 एमएमआरडी एक्ट, 3/181, 5/180 एमवी एक्ट

भाग- प्रथम दिनांक- 13.07.2026

(A)

परिवादी	श्री अजयचन्द हैड कानि. 551
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. मोहम्मद अबरार उर्फ रज्जू पुत्र इमामूद्दीन उम्र 24 साल निवासी इस्लामननगर थाना देवलीमांजी जिला कोटा हाल पत्थर मंडी सरकारी स्कूल के सामने नांता थाना कुन्हाडी जिला कोटा 2. रउफ मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद उम्र 37 साल निवासी 4ई, 25 संजय नगर उडीया बस्ती, गली नं. 04 विज्ञाननगर कोटा थाना विज्ञाननगर कोटा
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी

(B)

अपराध की दिनांक	02.06.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.06.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	23.10.2018
आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए जाने की दिनांक	23.10.2018
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक	15.03.2019
निर्णय दिनांक	13.07.2026
दोषसिद्धि/दोषमुक्ति की दिनांक	13.07.2026

Authenticated Document

(C)

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्रम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जा.फौ.के उद्धेश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	मोहम्मद अबरार			379 भारतीय दण्ड संहिता 1860, 4/21 एमएमआरडी एक्ट, 3/181 एमवी एक्ट	दोषमुक्त(379 आईपीसी तथा 4/21 MMRD ACT दोषसिद्ध (3/181 एमवी एक्ट)	500/- अर्थदण्ड (3/181 एमवी एक्ट के तहत)	
2.	रउफ मोहम्मद			5/180 एमवी एक्ट	दोषसिद्ध	1000/- अर्थदण्ड	

भाग- द्वितीय

अभियोजन गवाहान की सूची

अ- अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू.- 1	रामनारायण	ताईद फर्द चैकिंग व जप्ती, फर्द गिर. मुल. बयान 161 सीआरपीसी, निरीक्षण घटनास्थल, फर्द तस्दीत घटनास्थल
पी.डब्ल्यू.- 2	अजय चंद	ताईद फर्द चैकिंग व जप्ती, फर्द गिर. मुल. बयान 161 सीआरपीसी, निरीक्षण घटनास्थल, फर्द तस्दीत घटनास्थल
पी.डब्ल्यू.- 3	रामकल्याण	ताईद रेवन्यू रिकॉर्ड
पी.डब्ल्यू.- 4	शिवदयाल	ताईद अनुसंधान
पी.डब्ल्यू.- 5	विष्णु कुमार	ताईद बयान 161 सीआरपीसी ताईद फर्द चैकिंग व जप्ती, फर्द गिर. मुल. बयान 161 सीआरपीसी, निरीक्षण घटनास्थल, फर्द तस्दीत घटनास्थल

अभियोजन प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण

प्रदर्श पी-1	फर्द चैकिंग एवं जप्ती
प्रदर्श पी-2	फर्द गिरफ्तारी
प्रदर्श पी-3	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
प्रदर्श पी-4	फर्द तस्दीक घटनास्थल
प्रदर्श पी-5	रवानगी रपट
प्रदर्श पी-6	नकल जमाबंदी
प्रदर्श पी-7	नक्शा ट्रेस
प्रदर्श पी-8	फर्द सूचना धारा 27
प्रदर्श पी-9	मालखाना रजि. की प्रति
प्रदर्श पी-10	आपराधिक रिकॉर्ड
प्रदर्श पी-11	फर्द सुपुर्दगी ट्रेक्टर महेन्द्रा

-निर्णय- **दिनांकः-13.07.2026**

1. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.06.2018 को फरि. श्री अजयचन्द हैड कानि 551 मय जाप्ता श्री रामनारायण कानि. 78 श्री विष्णु कुमार कानि. 209, श्री भीमसिंह कानि. 732, श्री कमलेश कानि. 650 मय जीप सरकारी के वास्ते करने गस्त एवं चैकिंग कस्बा देवली मांजी ढीकोली ढोटी, चैमा बीबु करता हुआ चैमा मालियान सदेडी रोड पहुंचा कि सदेडी के रास्ते से होकर मैन रोड पर एक ट्रेक्टर मय ट्रोली जिसमें अवैध रेती भरी हुयी के आता नजर आया जिसको मन हैड कानि. अजयचन्द शर्मा मय जाप्ता ने रूकवाया एवं चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम मोहम्मद अबरार पुत्र श्री इमामुदीन उम्र 24 साल नि. इस्लामनगर थाना देवली मांजी हाल पत्थर मण्डी सरकारी स्कुल के सामने नान्ता थाना कुन्हाडी जिला कोटा का होना बताया जिसे ट्रेक्टर ट्रोली के कागजात एवं ड्राईविंग लाइसेंस चाहा गया तो तो नहीं होना बताया एवं ट्रोली में रेती भरकर लाने बाबत रवन्ना चाहा गया तो अपने पास कोई रवन्ना नहीं होना बताया एवं रेती भरकर लाने बाबत पुछा तो मौज इस्लामनगर के नीचे कालीसिंध नदी में से भरकर लाना बताया जो बिना रवन्ना के अवैध रूप से खनन कर रेत निकाल कर लेकर आना धारा 4/21 एमएमआरडी एक्ट एवं 379 आईपीसी का अपराध होने से मौके पर ही रूबरू गवाहान के फर्द चैकिंग एवं जप्ती मुर्तिब कर ट्रेक्टर महिन्द्रा डी. आई. रंग लाल रजि. नं. आर.जे. 28 आर.बी. 7066 मय ट्रोली रंग नीला सफेद रेत से भरी हुई को बकब्जे पुलिस लिया जाकर मुल. मो. अबरार को जर्ये फर्द गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया इत्यादि...।

(2) उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 86/2018 धारा 379 आईपीसी, 4/21 एमएमआरडी एक्ट, 3/181, 5/180 एमवी एक्ट के तहत दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, बाद

अनुसंधान अभियुक्त मोहम्मद अबरार के विरूद्ध धारा 379 आईपीसी, 4/21 एमएमआरडी एक्ट, 3/181 एवं अभियुक्त रउफ मोहम्मद के विरूद्ध धारा 5/180 एमवी एक्ट का आरोप प्रमाणित पाया गया, जिस पर अपराध अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी 4/21 एमएमआरडी एक्ट, 3/181, 5/180 एमवी एक्ट के तहत न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास जिला कोटा में दिनांक 23.10.2018 को आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 आईपीसी, 4/21 एमएमआरडी एक्ट, 3/181, 5/180 एमवी एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर बहस चार्ज सुनी गई, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 23.10.2018 को उक्त धारा में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो उसके द्वारा आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गई।

(3) अभियोजन की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

(4) अभियुक्त रउफ मोहम्मद को दिनांक 26.07.2024 तथा अभियुक्त मोहम्मद अबरार को दिनांक 02.08.2024 को धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि झूंठा फॅसाया है। अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। अतः साक्ष्य सफाई का अवसर बन्द किया गया।

(5) बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली एवं विधि का ध्यानपूर्वक एवं सुद्दढता से अवलोकन किया।

(6) दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क रखा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

(7) इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से दौराने बहस यह कथन किया कि प्रकरण के गवाहान अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन के किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

(8) उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

(1) क्या दिनांक 02.06.2018 को समय करीब 12.40 पीएम पर सदेडी रोड चौमा मालियान पर अभियुक्त अबरार मोहम्मद के अनन्य व चेतन्य कब्जे से ट्रेक्टर महिन्द्रा डीआई आरजे 28 आरबी 7066 मय ट्रोली जिसमें रेती भरी हुई थी, को सरकार के स्वामित्व की बजरी को बेईमानी पूर्वक हटाने के आशय से ट्रोली में भरकर लाया गया और उक्त बजरी को उसके स्वामी के अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी का अपराध कारित किया गया?

(2) क्या अभियुक्त अबरार मोहम्मद द्वारा उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर बिना माइन्स विभाग की अनुमति व अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से बजरी का खनन किया गया?

(3) क्या अभियुक्त अबरार मोहम्मद द्वारा उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैध अनुज्ञा पत्र के लोक मार्ग पर वाहन चलाया गया?

(4) क्या अभियुक्त रउफ मोहम्मद द्वारा उपरोक्त वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर ट्रेक्टर महिन्द्रा डी आई आरजे28 आरबी 7066 मय ट्रोली का स्वामी होते हुए अपने वाहन को चालक मोहम्मद अबरार को चलवाया जोकि धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करता था?

(5) यदि हाँ तो अभियुक्त किस सजा से दण्डनीय है ?

(9) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के तहत उक्त बिन्दुओं को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है जिसके निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह रामनारायण जाट को पी.डब्ल्यू. 1 के तौर पर परीक्षित करवाया गया जिसने अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया कि दिनांक 02.06.2018 को वह मय जाप्ता थाने से रवाना होकर सरकारी जीप से वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध खनन, शराब, हथियार हेतु चौमा मालियान पहुंचे जहां से सदेडी के रास्ते से होकर मेन रोड पर एक ट्रेक्टर मय ट्रोली जिसमें अवैध रेती भरी हुई थी वह आते नजर आया जिसको हमने रूकवाया और चालक से अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद अबरार पुत्र इमामुद्दीन बताया। उक्त व्यक्ति से ट्रेक्टर के कागजात व लाइसेंस मांगे तो उसने नहीं होना बताया जिस पर उससे ट्रोली में रेती भरकर ले जाने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया, जिस पर उक्त ट्रेक्टर महिन्द्रा जिसका नं. RJ28RB7066 है मय ट्रोली रंग नीला एवं रेत से भरी हुई ट्रोली को भी कब्जे पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती बनाई गई। उक्त फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 है जिसकी पुश्त पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। वापसी थाने पर हैड साहब ने मुकदमा नं. 86/18 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी व 4/21 एमएमआरडी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा

03.06.2018 को तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी-4 है व घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 है।

उक्त गवाह के द्वारा दौराने जिरह यह तथ्य जाहिर किया कि यह कहना सही है कि ट्रेक्टर में रेत कहां से भरकर लाया था यह मेरी जानकारी में नहीं है।

(10) इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के जप्ती अधिकारी अजयचन्द को गवाह पी.डब्ल्यू. 2 व फर्द जप्ती के अन्य गवाह विष्णु कुमार को पी.डब्ल्यू. 5 के तौर पर परीक्षित करवाया गया जिन्होंने एक स्वर में अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया कि दिनांक 02.06.2018 को जब वे मय जाप्ता वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध खनन हेतु थाने से रवाना हुए थे तब सदेडी के रास्ते से होकर मेन रोड पर एक ट्रेक्टर मय ट्रोली जिसमें अवैध रेती भरी हुई थी वह आते नजर आया जिसे रोककर उस ट्रेक्टर के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद अबरार पुत्र इमामुद्दीन होना बताया। उक्त गवाहों द्वारा भी यह जाहिर किया कि अभियुक्त से ट्रेक्टर ट्रोली के कागज एवं लाइसेंस मांगे गए तो उसने कोई कागज व लाइसेंस होना नहीं बताया जिसके पश्चात अभियुक्त से ट्रोली में रेती भरकर लाने बाबत रवन्ना चाहा तो उसने कोई रवन्ना भी नहीं होना बताया जिसके पश्चात उक्त ट्रेक्टर जिसके नं. RJ28RB7066 है उसे जरिए फर्द जप्ती ट्रेक्टर मय ट्रोली जप्त किया गया। उक्त फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 है जिस पर गवाह पी.डब्ल्यू. 2 द्वारा सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया व गवाह पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा दौराने जिरह यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि यह कहना सही है कि मैंने जप्तशुदा ट्रेक्टर में बजरी भरते हुए किसी को नहीं देखा। गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया जाता है कि जिस जगह पर हमने ट्रेक्टर को पकडा था वह आम रास्ता है, जिस पर साधनों की आवाजाही रहती है। इसके अतिरिक्त गवाह के द्वारा यह भी जाहिर किया जाता है कि जब हमने ट्रेक्टर जप्त किया था उस समय स्वतंत्र गवाह बनने के लिए किसी को भी नहीं रोका था। गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा जिस जगह से बजरी लाना बताया गया था उस जगह से बजरी का कोई सैम्पल नहीं लिया गया था और ना ही जप्तशुदा बजरी का मिलान कालीसिंध नदी की बजरी से किया गया था।

(11) इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अपराध अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी में मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष को यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है कि अभियुक्त के द्वारा किसी सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक तरीके से ले लिया गया हो। उक्त चोरी के अपराध में सामान्यतः रूप से कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है जिससे घटनाक्रम के

परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखलाओं की कडी के आधार पर ही यहां देखा जाना होता है कि उक्त श्रृंखला सम्पूर्ण रूप से यह जाहिर करती हो कि जो सम्पत्ति अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त हुई है वह सम्पत्ति अभियुक्त के द्वारा ही चुराई गई सम्पत्ति है।

हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू. 1, पी.डब्ल्यू. 2 व पी.डब्ल्यू. 5 उक्त तीनों गवाहान फर्द जप्ती के गवाह हैं जिन्होंने एक स्वर में यह तथ्य जाहिर किया है कि दिनांक 02.06.2018 को अभियुक्त मोहम्मद अबरार के कब्जे से ट्रेक्टर मय ट्रोली जप्त की गई थी व उक्त ट्रोली में रेत भरी हुई थी जिसके संबंध में अभियुक्त से रवन्ना चाहा तो उसने कोई रवन्ना नहीं होना बताया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध 4/21 एमएमआरडी एक्ट के अन्तर्गत भी अपराध है जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष को यह तथ्य भी साबित करना है कि अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गई रेती खनन विभाग के कब्जे में आ रही भूमि में से ही निकाली गई रेती है व उक्त रेती को खनन विभाग की अनुमति के बिना व बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के ही अभियुक्त के द्वारा उक्त रेती का खनन किया गया है।

(12) इस स्तर पर हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह शिवदयाल को पी.डब्ल्यू. 4 के तौर पर परीक्षित करवाया गया जिसने अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया कि हस्तगत प्रकरण में दौराने अनुसंधान अभियुक्त अबरार द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी गई जो प्रदर्श पी-8 है व उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त की निशादेही से जिस स्थान से बजरी का खनन किया गया उसका तस्दीक घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी-4 है जिस पर सी से डी मेरे व ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर है। इस स्तर पर प्रदर्श पी-8 का अवलोकन किया जाए तो अभियुक्त मोहम्मद अबरार के द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना में यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि "मैंने ट्रेक्टर महिन्द्रा डी आई नं. RJ28RB7066 की ट्रोली में अवैध बजरी इस्लामनगर के पास कालीसिंध नदी से जिस स्थान से भरी थी उस स्थान को मैं चलकर बता सकता हूं।" इस स्तर पर धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के तहत व विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्वांतों के तहत उक्त सूचना में से मात्र यह सूचना कि, "उस स्थान को मैं चलकर बता सकता हूं" यह तथ्य ही सुसंगत है। उक्त सूचना के आधार पर फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी-4 मुर्तिब किया गया जो शामिल पत्रावली है जिसमें एक्स स्थान मार्क को अभियुक्त की निशादेही से बताया गया है।

(13) हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष को यह तथ्य स्थापित करना है कि अभियुक्त के कब्जे से जो रेती जप्त हुई है व अभियुक्त के द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर जिस स्थान का घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया है वह जप्तशुदा रेती उसी स्थान से खनन कर अभियुक्त के

द्वारा निकाली गई थी एवं वह स्थान खनन विभाग के क्षेत्राधिकार का स्थान है। उक्त तथ्य पर गवाह पी.डब्ल्यू. 5 के द्वारा दौराने जिरह यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि जिस जगह से अभियुक्त ने बजरी लाना बताया था उस जगह से बजरी का कोई सैम्पल नहीं लिया गया था और ना ही जप्तशुदा बजरी का मिलान कालीसिंध नदी की बजरी से किया गया था। इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यू. 4 के द्वारा दौराने जिरह यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि मैंने फर्द तस्दीक घटनास्थल के एक्स स्थान से बजरी का सैम्पल नहीं लिया व ना ही उस बजरी का जप्तशुदा बजरी से मिलान किया। उक्त गवाहों द्वारा जाहिर किए गए उक्त तथ्यों से यह जाहिर होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी को जो फेक्ट डिस्कवर हुआ है वह प्रदर्श पी-4 में वर्णित घटनास्थल है परन्तु मात्र इस तथ्य के आधार पर कि उक्त सूचना से घटना स्थल की तस्दीक बनाई गई है उक्त तथ्य से यह साबित नहीं हो जाता है कि जो रेती अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गई है वह रेती अभियुक्त के द्वारा उसी स्थान से ली गई हो एवं वह स्थान खनन विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता हो।

हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से रामकल्याण (पटवारी) को गवाह पी.डब्ल्यू. 3 के तौर पर परीक्षित करवाया गया जिन्होंने अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया कि दिनांक 08.06.2018 को ग्राम इस्लामनगर में स्थित गैर मुमकिन नदी जिसके खसरा नं. 594 की राजस्व नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रतिलिपि रजिस्टर क्रमांक 316 पर दर्ज कर दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा जारी की गई थी। नकल जमाबंदी प्रदर्श पी-6 है व नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी-7 है जिस पर प्रत्येक पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त गवाह द्वारा दौराने जिरह यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि खसरा नं. 594 में कहीं पर भी कालीसिंध अंकित नहीं है। इस स्तर पर प्रदर्श पी-6 नकल जमाबंदी व प्रदर्श पी-7 नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया जाए तो उक्त नकल जमाबंदी में खसरा नं. 594 को जुताई के लिए अनुपलब्ध भूमि होना जाहिर किया गया है जिसका नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी-7 है।

परन्तु हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा इस तथ्य के संबंध में कोई अनुसंधान किया जाना जाहिर नहीं होता है कि अभियुक्त के कब्जे से जो बजरी जप्त की गई है वह बजरी अभियुक्त के द्वारा उक्त खसरा नं. 594 के स्थान से ही खनन कर प्राप्त की गई हो। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में ना तो दौराने अनुसंधान व ना ही प्रकरण के साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर खनन विभाग के किसी अधिकारी के बयान लेखबद्ध किए गए जिसने यह जाहिर किया हो कि जिस स्थान पर हस्तगत प्रकरण में घटना की जाना जाहिर किया जा रहा है वह स्थान खनन विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही आता हो। इसके अतिरिक्त खनन विभाग के किसी अधिकारी

Authenticated Document

से इस संबंध में भी कोई अनुसंधान नहीं किया जाना जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में जो बजरी अभियुक्त के कब्जे से जप्त हुई है वह ऐसे स्थान से अभियुक्त द्वारा खनन की गई है जो स्थान खनन विभाग के क्षेत्राधिकार में आता हो। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 4 व पी.डब्ल्यू. 5 के द्वारा यह भी तथ्य जाहिर किया है कि घटनास्थल की बजरी का मिलान अभियुक्त के कब्जे से जप्त हुई बजरी से नहीं किया गया था। हस्तगत प्रकरण में जिस खसरा नं. 594 के संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 3 द्वारा बयान किए जाते हैं उस खसरा नं. 594 में से ही अभियुक्त के द्वारा बजरी का खनन किया गया हो इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुसंधान किया जाना जाहिर नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियुक्त से ट्रेक्टर मय ट्रोली जिसमें बजरी भरी हुई थी उक्त ट्रेक्टर को जप्त किए जाने हेतु गवाह पी.डब्ल्यू. 5 के द्वारा यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि जिस जगह पर हमने ट्रेक्टर को पकडा था वह आम रास्ता है जिस पर साधनों की आवाजाही रहती है। यह कहना सही है कि हमने जब ट्रेक्टर जप्त किया था उस समय स्वतंत्र गवाह बनाने हेतु किसी को भी नहीं रोका था। उक्त गवाह के द्वारा जाहिर किए गए उक्त तथ्य से यह संदेह उत्पन्न होता है कि यदि हस्तगत प्रकरण की फर्द जप्ती दोपहर में 12:40 पीएम पर बनाई जाना जाहिर होती है व स्वयं जप्ती के गवाह के द्वारा यह जाहिर किया जाता है कि जिस स्थान पर ट्रेक्टर मय ट्रोली जप्त किए गए थे वह आम रास्ता है तो उसके पश्चात भी उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली को जप्त किए जाने हेतु किसी स्वतंत्र गवाह को गवाह बनाने हेतु क्यों नहीं पाबंद किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.डब्लयू. 1 द्वारा दौराने मुख्य परीक्षण यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 03.06.2018 को फर्द तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी-4 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। वहीं दौराने जिरह गवाह के द्वारा यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि यह कहना सही है कि ट्रेक्टर में रेत कहां से भरकर लाया यह मेरी जानकारी में नहीं है। उक्त गवाह के द्वारा जाहिर किए गए उक्त तथ्य से यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि यदि प्रदर्श पी-4 फर्द तस्दीक घटनास्थल के नक्शे मौके पर ए से बी उक्त गवाह के हस्ताक्षर हैं व उक्त प्रदर्श पी-4 में यह तथ्य जाहिर है कि एक्स स्थान पर से बजरी भरी गई थी तो ऐसे में उक्त गवाह के द्वारा दौराने जिरह यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि यह उसकी जानकारी में नहीं है कि ट्रेक्टर में रेत कहां से भरकर लाया था जिससे प्रदर्श पी-4 फर्द तस्दीक घटनास्थल के नक्शे मौके की ताईद नहीं होती है।

(14) अतः उक्त तथ्यों व आधारों पर न्यायालय का मत यह है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित नहीं किया जा सका है कि अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 02.06.2018 को जो बजरी जप्त की गई थी वह बजरी

अभियुक्त के द्वारा जिस स्थान से ली गई थी वह स्थान खनन विभाग के अन्तर्गत आता हो, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में खनन विभाग के किसी अधिकारी के बयान लेखबद्ध नहीं करवाए गए हैं व ना ही दौराने अनुसंधान खनन विभाग के किसी अधिकारी को जप्तशुदा रेती के संबंध में पूछा गया है व ना ही जिस स्थान से रेती भरी जाने का तथ्य दौराने अनुसंधान प्रकट हुआ है उस स्थान की रेती व अभियुक्त के कब्जे से जप्त हुई रेती का मिलान भी खनन विभाग के किसी अधिकारी के द्वारा नहीं करवाया गया है व ना ही अनुसंधान अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई मिलान किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व आधारों के तहत अपराध अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी व 4/21 एमएमआरडी एक्ट के आधार संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

(15) जहां तक अभियुक्त मोहम्मद अबरार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3/181 मोटरवाहन अधिनियम का प्रश्न है तो उक्त अपराध हेतु अभियोजन पक्ष को यह तथ्य साबित करना है कि वक्त घटना अभियुक्त द्वारा उक्त ट्रेक्टर को बिना वैध अनुज्ञापत्र के लोकमार्ग पर चलाया जा रहा था व इसी संबंध में अभियुक्त रउफ मोहम्मद के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 5/180 मोटरवाहन अधिनियम को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर का स्वामी होते हुए अभियुक्त के द्वारा धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करते हुए भी मोहम्मद अबरार को ट्रेक्टर चलाने के लिए दिया गया। इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू. 1, गवाह पी.डब्ल्यू. 2 व गवाह पी.डब्ल्यू. 5 के द्वारा एक स्वर में यह तथ्य जाहिर किया है कि दिनांक 02.06.2018 को अभियुक्त मोहम्मद अबरार के कब्जे से एक ट्रेक्टर मय ट्रोली जिसका नं. RJ28RB7066 है उसे रोका गया व उक्त ट्रेक्टर को चलाने बाबत अभियुक्त मोहम्मद अबरार से कागज व लाइसेंस मांगे गए तो उसने नहीं होना बताया। उक्त तथ्यों की ताईद हस्तगत प्रकरण में जरिए फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 से भी होती है जिसमें ट्रेक्टर नं. RJ28RB7066 मय ट्रोली को अभियुक्त मोहम्मद अबरार के कब्जे से जप्त किए जाने का तथ्य जाहिर होता है व उक्त फर्द जप्ती में भी यह तथ्य वर्णित है कि अभियुक्त से उक्त जप्तशुदा ट्रेक्टर ट्रोली के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस चाहे गए तो उसने नहीं होना बताया। यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 1, पी.डब्ल्यू. 2 व पी.डब्ल्यू. 5 के द्वारा इस संबंध में किए गए कथनों व फर्द जप्ती में वर्णित तथ्यों का खण्डन दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है व ना ही इस संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य पेश की गई है जिससे यह जाहिर होता हो कि अभियुक्त के पास वक्त घटना उक्त जप्तशुदा ट्रेक्टर को चलाने बाबत संबंधित दस्तावेज उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में उक्त जप्तशुदा ट्रेक्टर को न्यायालय के आदेश के द्वारा दिनांक 16.07.2018 को अभियुक्त रउफ मोहम्मद को सुपुर्द कर दिया गया था व हस्तगत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात

Authenticated Document

का अवलोकन किया जाए तो पत्रावली में उक्त जप्तशुदा ट्रेक्टर के संबंध में उक्त ट्रेक्टर की आर.सी. संलग्न है जिसके अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त जप्तशुदा ट्रेक्टर RJ28RB7066 अभियुक्त रउफ मोहम्मद के नाम से पंजीकृत है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य तो युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है कि दिनांक 02.06.2018 को उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली अभियुक्त मोहम्मद अबरार के कब्जे से ही जप्त हुआ था व यह भी तथ्य साबित होता है कि वक्त घटना अभियुक्त के पास उस ट्रेक्टर को चलाने बाबत कोई दस्तावेज नहीं था व ना ही अभियुक्त के पास ड्राइविंग लाइसेंस था जिससे उक्त जप्तशुदा ट्रेक्टर का वाहन स्वामी होने के नाते अभियुक्त रउफ मोहम्मद के विरूद्ध भी अपराध अन्तर्गत धारा 5/180 मोटरवाहन अधिनियम के अपराध के आधार स्थापित होते हैं।

(16) उक्त तथ्यों व आधारों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त मोहम्मद अबरार उर्फ रज्जू पुत्र इमामूद्दीन को अपराध अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी एवं 4/21 एमएमआरडी एक्ट के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त मोहम्मद अबरार को 3/181 मोटरवाहन अधिनियम एवं अभियुक्त रउफ मोहम्मद को अपराध अन्तर्गत धारा 5/180 मोटरवाहन अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया</u>-

(17) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा सजा के बिन्दु पर बहस करते हुए निवेदन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण वर्ष 2018 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे है। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया है कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के अपराध को साबित किया गया है। अभियुक्तगण का कृत्य दण्डनीय है। अतः अभियुक्तगण को कठोर से कठोर सजा से दण्डित करने का निवेदन किया गया।

(18) उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

::**<u>दण्डादेश</u>**::

(17) अतः अभियुक्त मोहम्मद अबरार उर्फ रज्जू पुत्र इमामूद्दीन उम्र 24 साल निवासी इस्लामननगर थाना देवलीमांजी जिला कोटा हाल पत्थर मंडी सरकारी स्कूल के सामने नांता थाना कुन्हाडी जिला कोटा को धारा 379 आईपीसी व धारा 4/21

एमएमआरडी एक्ट के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा अभियुक्त मोहम्मद अबरार को धारा 3/181 मोटरवाहन अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं 500/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड में 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा एवं अभियुक्त रउफ मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद उम्र 37 साल निवासी 4 ई, 25 संजय नगर उडीया बस्ती, गली नं. 04 विज्ञाननगर कोटा थाना विज्ञाननगर कोटा को अपराध अन्तर्गत धारा 5/180 मोटरवाहन अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं 1000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड में 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(19) अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में हाजिरी बाबत धारा 437 ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत 6 माह की अवधि हेतु 10 हजार रुपए का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाए।

(20) प्रकरण में जप्तशुदा बजरी का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर सुपुर्दगी पर है।

निखिल टाक
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कनवास, जिला कोटा (राज.)

(21) निर्णय आज दिनांक **13.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित किया गया।

निखिल टाक
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कनवास, जिला कोटा (राज.)

AYUSH SHARMA
Digitally signed by AYUSH SHARMA
Date: 2026.07.21 16:35:25 +0530

Authenticated Document